देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

अंक-2020/gbd/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest बुधवार, 1 जनवरी 2020

जे.डी.ए. के अति.मुख्य नगर नियोजक (बी.पी.सी.-बी.पी) और नगर निगम सांगानेर के उपायुक्त को नहीं सरकार का डर

भूखंड संख्या 4,पी.डब्ल्यू.डी. चौकी,बी-2 बाईपास पर स्थित जयपुर सेंटर की 5th और 6th फ्लोर पर बने अवैध कोरिडोर और 7th फ्लोर पर चल रहे रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार Asteria का है मामला|

जयपुर सेंटर डवलपर्स प्रा.लि. द्वारा बी-2 बाईपास पर बनाये गए जयपुर सेंटर की बिल्डिंग की 5वें और 6ठे फ्लोर पर आम जन के लिए आने-जाने के बने कोरिडोर पर भी जे.डी.ए. के स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण करवा कर मोटे किराए पर दे दिया था,जिसकी शिकायत को सही मानकर,कायवाही करते हुए जे.डी.ए. और अग्निशमन विभाग द्वारा सील करने के नोटिस दिए थे|वहीँ दूसरी और इसी जयपुर शहर की सांतवी मंजिल पर चल रहे रूफ टॉप रेस्टोरेंट Asteria को तो नगर निगम के सांगानेर ज़ोन द्वारा फायर NOC नहीं होने के कारण सील भी कर दिया गया था परन्तु भारी रसुखातों के चलते महज एक दिन में ही उसकी सील खोल दी गयी|

नियम तोडना बिल्डर की आदत में शुमार,बिल्डर पहले भी कर चूका है इस बिल्डिंग के अवैध निर्माणों को नियमित

नियमों को तोड़ना इस बिल्डिंग के मालिक की आदतों में शुमार है|इससे पूर्व भी बिल्डर द्वारा मोटे किराए के लालच में इस बिल्डिंग की सांतवी मंजिल पर अवैध रूप से बिल्डिंग बना कर बार संचालक को दे दी थी,जिसका खुलासा होने पर तत्कालीन आयुक्त श्री वैभव गालरिया द्वारा इस रेस्टोरेंट को सील करनेके आदेश जारी किये जा चुके थे,परन्तु पैसे के दम पर बिल्डर ने सभी अधिकारियों को मैनेज कर इस अवैध फ्लोर को ही नियमित करवा लिया था|इस प्रकरण में बिल्डर के आर्किटेक्ट श्री पी.एन. भार्गव को निलंबित भी किया गया था,जिन्हें माफ़ी मांगने पर पुनः बहाल किया गया था|

क्यूंकि चड्डा सब कुछ मैनेज कर सकता है|

शायद आपको दामिनी फिल्म तो याद होगी जिसमे चड्डा नाम का एक वकील झूठे तथ्यों और गवाहों की मदद से हर गलत और झूठे केस को जीतने में विश्वास करता है यही हाल इस बिल्डिंग के संचालकों का भी है|अपनी तमाम गलतियों को पैसों के दम पर मैनेज करना इस बिल्डिंग के संचालकों की पुरानी आदत है|

— 689 —

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर

क्रमांकः एफ.9 ( )आ.फा./न.नि.ज/18/32097 दिनांक 27/12/18

निदेशक,
एच. वी होटल्स (जयपुर सेन्टर प्रा0 लि),
प्लाट नः 4 आश्रम मार्ग पी डब्लु डी चौकी,
टोक रोड जयपुर।

विषयः— अग्निशमन यंत्र/उपकरण का निरीक्षण एव अग्निशमन की दृष्टि से अभिषंशा पत्र जारी किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल प्लाट नः 4 आश्रम मार्ग पी डब्लू डी चौकी टोक रोड जयपुर में निर्मित किये गये बहुमजिला भवन का वार्षिक निरीक्षण किये जाने हेतू आवेदित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया निरीक्षण के दौरान आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यंन्त्र/उपकरण सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये भवन परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया। इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए पत्रांक एफ.9 ( )आ. फा./न.नि.ज/15/2394 दिनांक 30.12.2014 में अंकित शर्ते यथावत रहेगी।

यह अभिषंशा पत्र पूर्व में जारी किये गए अभिशंषा पत्र की तिथि से दिनांक 29.12.2019 तक नवीनीकृत किया जाता है।

27/12/18

(जगदीश प्रसाद फुलवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

7वीं मंजिल की फायर NOC नहीं फिर भी पैसों के बल पर इस फ्लोर पर बने रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार " Asteria " की सील खुलवाई

इस बिल्डिंग की सांतवी मंजिल पर बने रूफ टॉप बार को नगर निगम द्वारा गत वर्ष नवम्बर माह में सील किया गया था,परन्तु बिल्डर द्वारा मैनेज करने पर अगले दिन ही उसे सील मुक्त कर दिया गया|आश्चर्य की बात यह है कि बिल्डर ने इस भवन की सांतवी मंजिल की फायर NOC ही नही ली है|बिल्डर द्वारा पूर्व में वर्ष 2014 में इस भवन की 6 माले तक की फायर NOC ही ले रखी है जिसे ही उसके द्वारा वर्ष 2018 में एक वर्ष के लिए रिन्यू करवाया गया था,रेस्टोरेंट की अलग से कोई फायर NOC जारी नही की गयी|बावजूद इसके रेस्टोरेंट की महज एक दिन में सील खोल दी गयी|

5 रूफटॉप रेस्त्रां और हुक्का बार सील किया

सिटी रिपोर्टर. जयपुर

शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों पर चलने वाले रूफ टॉप रेस्टोरेंट और रेस्त्रां पर पर निगम प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सिविल लाइन, सी स्कीम, बनीपार्क व राजापार्क के बाद बुधवार को मालवीय नगर व सांगानेर एरिया में रूफ टॉप रेस्टोरेंट परिसरों को सील की गई।

निगम कमिश्नर विजयपालसिंह के निर्देश पर जोन की टीम ने 5 रेस्टोरेंट व रेस्त्रां बार को आगामी 6 माह के लिए सील कर दिया। दो जगहों पर तो अवैध हुक्का बार चलता पाया तो निगम अफसरों ने पुलिस को

भी सूचना दी। यही नहीं रेस्टोरेंट के मेन्यू बोर्ड पर निगम अफसरों ने ही क्लोज्ड का पर्चा चस्पा कर दिया।

कमिश्नर विजयपाल सिंह ने बताया कि शहर में अवैध रूप से संचालित रूफ टॉप पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सांगानेर जोन में गिरधर मार्ग, मालवीय नगर पर संचालित ऊंच बार एवं मिडनाइट वेगास, एसएल मार्ग पर संचालित जयपुर दरबार, जयपुर सेन्ट्रल बीटू बाईपास पर संचालित क्लब रेजियो एस्टेरिया तथा गोल्ड सुक में संचालित टेन इलेवन रूफटॉप रेस्टोरेन्ट व बार तथा डिस्को थैक को 180 दिवस के लिए सीज किया गया है। इस दौरान सांगानेर जोन के अधिकारी, सतर्कता शाखा, स्वास्थ्य शाखा एवं फायर शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

तीन दिन पहले अवैध थे रूफटॉप रेस्टोरेंट
अब वैध बताकर खोल दिए

जयपुर @ पत्रिका. नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। निगम ने जिन रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को तीन दिन पहले अवैध मानकर सीज कर दिया था, अब उन्हें खोलने की तैयारी हो गई है।

बीते तीन दिन में शहर में नगर निगम ने 10 से अधिक रूफटॉप रेस्टोरेंट को सीज किया, लेकिन गुरुवार को नगर निगम में ब्लैक आउट और क्लब रेजियो एस्टरिया की सील खोलने की कार्रवाई पूरी हो गई। दिन भर नगर निगम में इन दोनों रूफटॉप रेस्टोरेंट के सील खोलने की चर्चा रही। इन दोनों की सील खुलवाने में शहर के दो विधायकों का हाथ माना जा रहा है। हालांकि इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। इन्हें मंगलवार और बुधवार को ही सीज किया था। आयुक्त विजय पाल सिंह का कहना है कि इस रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालक के पास नगर निगम के खिलाफ कोर्ट का स्टे ऑर्डर था।

पत्रिका Fri, 15 November 2019
epaper.patrika.com/c/45758184

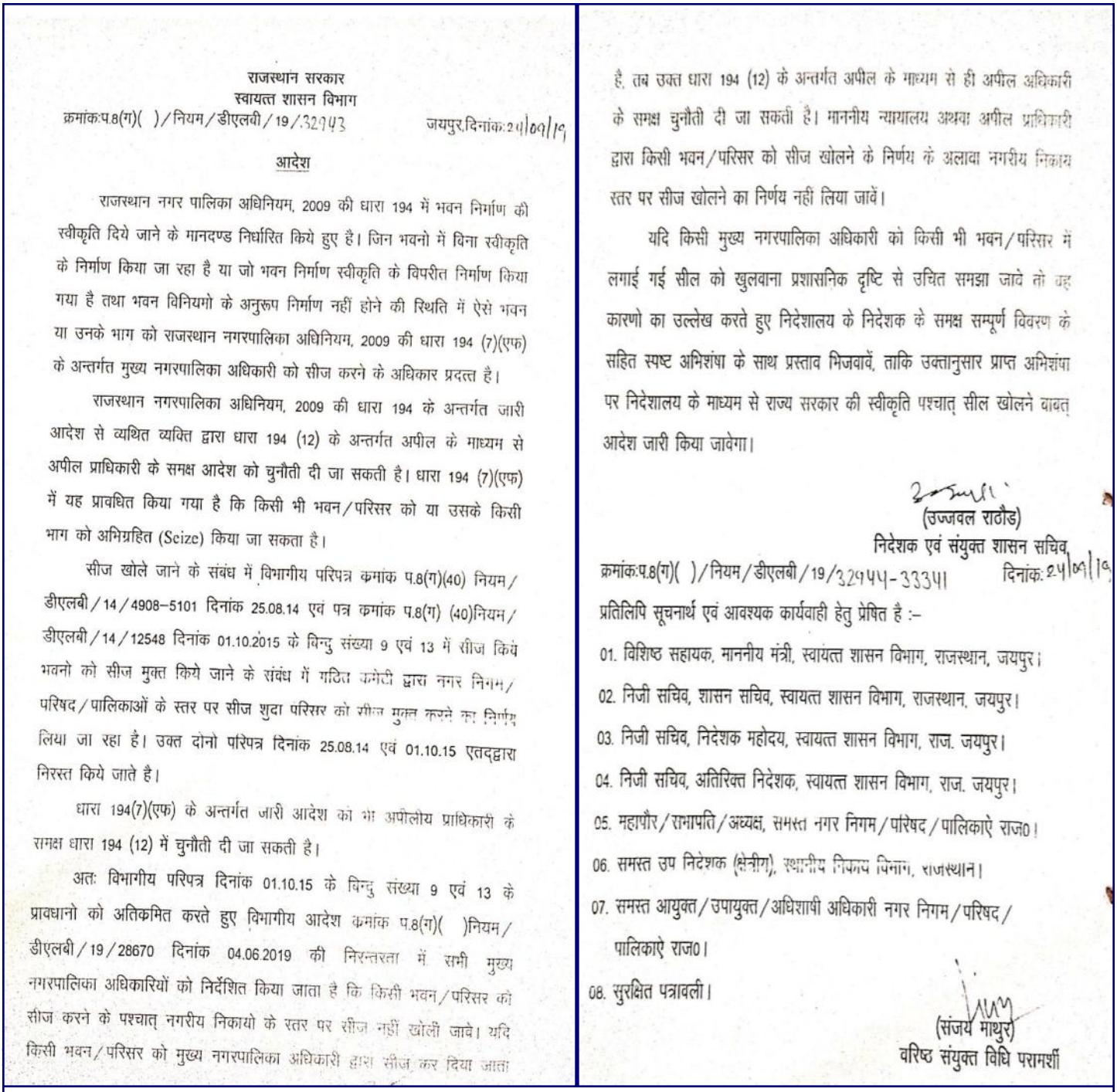

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/19/32943 जयपुर,दिनांकः24/09/19

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 में भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के मानदण्ड निर्धारित किये हुए है। जिन भवनो में बिना स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा है या जो भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया गया है तथा भवन विनियमो के अनुरूप निर्माण नहीं होने की स्थिति में ऐसे भवन या उनके भाग को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (7)(एफ) के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सीज करने के अधिकार प्रदत्त है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा 194 (12) के अन्तर्गत अपील के माध्यम से अपील प्राधिकारी के समक्ष आदेश को चुनौती दी जा सकती है। धारा 194 (7)(एफ) में यह प्रावधित किया गया है कि किसी भी भवन/परिसर को या उसके किसी भाग को अभिग्रहित (Seize) किया जा सकता है।

सीज खोले जाने के संबंध में विभागीय परिपत्र कमांक प.8(ग)(40) नियम/डीएलबी/14/4908–5101 दिनांक 25.08.14 एवं पत्र कमांक प.8(ग) (40)नियम/डीएलबी/14/12548 दिनांक 01.10.2015 के बिन्दु संख्या 9 एवं 13 में सीज किये भवनो को सीज मुक्त किये जाने के संबंध में गठित कमेटी द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के स्तर पर सीज शुदा परिसर को सील मुक्त करने का निर्णय लिया जा रहा है। उक्त दोनो परिपत्र दिनांक 25.08.14 एवं 01.10.15 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

धारा 194(7)(एफ) के अन्तर्गत जारी आदेश को भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष धारा 194 (12) में चुनौती दी जा सकती है।

अतः विभागीय परिपत्र दिनांक 01.10.15 के बिन्दु संख्या 9 एवं 13 के प्रावधानो को अतिकमित करते हुए विभागीय आदेश कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/28670 दिनांक 04.06.2019 की निरन्तरता में सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भवन/परिसर को सीज करने के पश्चात् नगरीय निकायो के स्तर पर सीज नहीं खोली जावे। यदि किसी भवन/परिसर को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा सीज कर दिया जाता है, तब उक्त धारा 194 (12) के अन्तर्गत अपील के माध्यम से ही अपील अधिकारी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। माननीय न्यायालय अथवा अपील प्राधिकारी द्वारा किसी भवन/परिसर को सीज खोलने के निर्णय के अलावा नगरीय निकाय स्तर पर सीज खोलने का निर्णय नहीं लिया जावें।

यदि किसी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को किसी भी भवन/परिसर में लगाई गई सील को खुलवाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित समझा जावे तो वह कारणो का उल्लेख करते हुए निदेशालय के निदेशक के समक्ष सम्पूर्ण विवरण के सहित स्पष्ट अभिशंषा के साथ प्रस्ताव भिजवावें, ताकि उक्तानुसार प्राप्त अभिशंषा पर निदेशालय के माध्यम से राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् सील खोलने बावत् आदेश जारी किया जावेगा।

(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/19/32944-33341 दिनांकः24/09/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राज0।
06. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
07. समस्त आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राज0।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

नगर निगम ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के अवैध रूप से खोली रूफ टॉप Asteria की सील

नगर निगम के सांगानेर ज़ोन द्वारा ना केवल नियमों को ताक पर रख कर इस रेस्टोरेंट की सील खोली बल्कि राज्यादेशों की भी अवहेलना की है|स्वायत शासन विभाग के आदेशानुसार किसी भी सील की गयी बिल्डिंग को बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं खोला जाए|मगर इस मामले में ना तो राज्य सरकार से किसी तरह की अनुमति ली गयी बल्कि मनमर्जी से एक दिन में और खोल दी गयी|

जब सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का|

जे.डी.ए. के अति. मुख्य नगर नियोजक (बी.पी.सी.-बी.पी.) श्री ओम प्रकाश पारिक की शह पर बिल्डर ने लगायी संशोधित नक़्शे के लिए फाईल

जब इस बिल्डिंग की 5वें और 6ठे फ्लोर पर बने कोरिडोर पर भी जे.डी.ए. के स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण करवा कर मोटे किराए पर देने का मामला सामने आया तो भारी दबाव के बाद जे.डी.ए. और अग्निशमन विभाग को नोटिस देने पड़े|परन्तु बिल्डर के पैंतरे यहीं ख़त्म नही हुए,उसने चाल चलते हुए पुनः बिल्डिंग के संशोधित मानचित्र अनुमति की फाईल चला दी जिससे एक बार तो जे.डी.ए. और अग्निशमन विभाग को अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्यवाही को रोकना पड़ा है|सूत्रों के अनुसार बिल्डिंग के संशोधित मानचित्र अनुमति जारी करने का दारोमदार अति मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी-बीपी) श्री ओम प्रकाश पारीक पर है और वह बिल्डर से पूरी तरह मैनेज है|उन्ही की शह पर बिल्डर ने यह दाव खेला है,जिसकी काट जे.डी.ए. के आयुक्त महोदय श्री टी.रविकांत और अन्य आला अधिकारियों के पास भी नहीं है|

श्री ओम प्रकाश पारिक ने शिकायतकर्ता को सरकार से ही कार्यवाही करवाने की नसीहत दी|

अति मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी-बीपी) श्री ओम प्रकाश पारीक का रवैया बिल्डर के प्रति तो नरम है,साथ ही वह अपने पद का रौब भी झाड़ते नजर आ जाते है|बिल्डर की मनमर्जी की फ़रियाद लेकर जब शिकायतकर्ता श्री राम प्रसाद शर्मा(एडवोकेट) उनसे मिले तो उन्होंने उल्टा आँखे दिखाते हुए जवाब दिया किसी अवैध निर्माण को ध्वस्त करना मेरा काम नहीं है, जाकर सम्बंधित डी.सी. और प्रवर्तन अधिकारी से मिलो,मेरे पास क्यों चक्कर लगा रहे हो? श्री पारीक इतने पर ही नही रुके उन्होंने शिकायतकर्ता को यह नसीहत भी दे डाली की मेरे पास आने की बजाय राज्यपाल,मुख्यमंत्री और मंत्री के पास जाओ जिनके पास तुम लगातार शिकायत कर रहे हो|इस बिल्डिंग को नियमित करना मेरे अधिकार क्षेत्र में है ना कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में|

(जैसा कि पीड़ित पक्ष श्री राम प्रसाद शर्मा(एडवोकेट) ने बताया)

अवैध पार्किंग की वसूली के साथ अनेकों अनियमितताएं

अपनी जांच रिपोर्ट में ज़ोन-4 के ATP ने माना है कि बिल्डिंग के संचालकों द्वारा अवैध रूप से बिल्डिंग के आगंतुकों से पार्किंग वसूली जा रही है,जो की निर्माण स्वीकृति का सरासर उल्लंघन है|

ACD या SOG से जाँच की मांग

सरकारी विभागों से कोई राहत नही मिलती देख,शिकायतकर्ता श्री राम प्रसाद शर्मा ने अब मुख्यमंत्री से स्वतंत्र जांच एजेंसियों जैसे ACD या SOG से इस बिल्डिंग में हो रही सम्पूर्ण अनियमितताओं की जाँच करवाने की मांग की है|

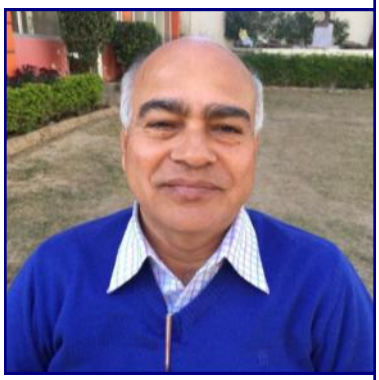

श्री राम प्रसाद शर्मा(एडवोकेट) ऑफिस धारक 533,जयपुर सेंटर